न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 49/2023
वादी :-

1. पाबुराम पुत्र जवानराम
2. शिम्भुराम पुत्र पूनाराम
3. सागरराम पुत्र पूनाराम
4. गिरधारीलाल पुत्र पूनाराम
5. नवरतनलाल पुत्र पूनाराम
6. नवरतनलाल पुत्र पूनाराम
7. श्रीमति दाखुडी पत्नी पूनाराम जातियान कुम्हार निवासीगण पटेलनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. थानाराम पुत्र गेंपरराम
2. पुरखाराम पुत्र गेंपरराम
3. रेवतराम पुत्र गेंपरराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण पटेलनगर बिलाडा जिला जोधपुर
4. बाबूलाल पुत्र कानाराम के कायम मुकामः-
   - 4/1 धर्माराम पुत्र स्व. बाबूलाल
   - 4/2 श्रीमति सुमित्रा पुत्री बाबुलाल पत्नी सुखदेव
   - 4/3 श्रीमति अनिता पुत्री बाबूलाल पत्नी नरेश
   - 4/4 श्रीमति धापु पुत्री बाबूलाल पत्नी रामप्रकाश
   - 4/5 श्रीमति झणकारी पत्नी बाबुलाल
5. मदनलाल पुत्र कानाराम
6. लालाराम पुत्र कानाराम जातियान कुम्हार निवासीगण पटेलनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बोरुन्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर
8. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 9 सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः- 14/10/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटेलनगर (पूर्व ग्राम हरियाणा) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम आधी हुयी है। यह भूमि वादी संख्या-1 के पिता व प्रतिवादी संख्या-2 से के दादा व प्रतिवादी संख्या 6 के ससूर जवानराम पुत्र सूरजमल की खातेदारी में थी। वादपत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार जवानराम जी के दो पुत्र पाबूराम, पूनाराम थे. जिनमें से पूनाराम का देहान्त दिनांक 29.08.2022 को हो चुका है। इस प्रकार जवानराम जी की भूमि में उनके दो पुत्रों का बराबर का हक हिस्सा है एवं बादीगण अपने हिस्से की घोषणा करने के अधिकारी है। ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा किस्म

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बारानी प्रथम की खातेदारी पूर्व में जांवताराम, जवानराम, गोकलराम, कालूराम, पिसरान सूरजमल की थी। खातेदार जांवताराम, जवानराम, गोकलराम, कालूराम पिसरान सूरजमल ने अपनी काश्त की सुविधा के लिए अपने हिस्से की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया, जिसके अनुसार भूमि ज् खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा जवानराम के बंट में रखी राम गयी, जिसका राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा का नामान्तरकरण संख्या-593 दिनांक 19.05.1972 तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में जवानराम को खातेदार इन्द्राज किया गया, तब से जवानराम का कब्जा व काश्त चला आ रहा था तत्पश्चात जवानराम का देहान्त सन् 1990 को हो जाने के बाद विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने पिछले माह गांव में अफवाह सुनी की उनकी खातेदारी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा को प्रतिवादीगण के पूर्वज जांवताराम पुत्र सूरजमल के नाम से दर्ज कर दी गयी है एवं अब वादीगण इस भूमि पर काश्त नहीं कर सकेंगे तो वादीगण ने दिनांक 17.04.2023 को हल्का पटवारी से भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा की जमाबंदी एवं नामान्तरकरण संख्या-593, 369 की नकले प्राप्त की तो वादीगण को मालूम हुआ कि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा की भूमि को वादीगण की खातेदारी से हटाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी के नाम से दर्ज कर दी गयी। जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 को देखने से मालूम पड़ता है कि उसमें पटवारी हल्का द्वारा अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा को प्रतिवादीगण के पूर्वज जांवताराम पुत्र सूरजमल के नाम से दर्ज कर दिया गया एवं जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 के क०लम संख्या-05 में नामान्तरकरण संख्या-369 अंकित किया गया है. जबकि नामान्तरकरण संख्या-369 को देखने से मालूम पड़ता है कि नामान्तरकरण संख्या-369 भूमि खसरा नम्बर 1422, 1911 के संबंध का भरकर स्वीकृत किया हुआ है। इस प्रकार पटवारी को किसी की खातेदारी हटाने का कोई अधिकार नही है. अतः बीना अधिकार क्षेत्र के किया गया राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज को निरस्त किये जाने योग्य है एवं पुनः वादीगण की खातेदारी दर्ज की जानी आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन केवल म्यूटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश से या वैचान हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। मौजूदा मामले में भूमि खसरा नम्मर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन का किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है तथा न कोई म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है. अतः पटवारी द्वारा बीना आधार एवं अनाधिकृत तौर से दर्ज की गयी खातेदारी को हटाया जाना आवश्यक है। वादीगण जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 में भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा की प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि को राजस्व रेकर्ड से हटाकर अपनी खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है तथा घोषित भूमि के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की दखल आदि को रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से बीना कोई रेकर्ड में परिवर्तन के नामान्तरकरण के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 में गलत इन्द्राज कराने पर तथा अभी 15 दिन पहले खसरा नम्बर 1441 में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने पर बमुकाम ग्राम पटेलनगर पैदा हुआ, जो वादकारण निरन्तर जारी है। राजस्थान टीनेंसी एक्ट की तृतीय अनुसुची के

सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अनुसार दावा, घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा की भूमि में 1/2 हिस्सा वादी संख्या-1 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी संख्या-2 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी संख्या-3 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी संख्या-4 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सख्या-5 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी संख्या 6 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावें। ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा की भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाया जाने का आदेश फरमावे। वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा में किसी प्रकार की दखल इत्यादि नही करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 8 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पटेलनगर की वर्तमान जमाबंदी चौसाला (2074 से 2077) के खाता सं. 72 के अनुसार खसरा नंबर 1441 रकबा 2.3299 हैक्टयर में खातेदार-मदनलाल, लालाराम पि. कानाराम 1/3 हिस्सा व रैंवतराम, पुरखाराम, थानाराम पि. गेपरराम 1/2 हि., धर्माराम पुत्र बाबुलाल, धनुदेवी, सुमित्रा कुमावत, धापूदेवी पुत्री बाबूलाल, जनकारी पत्नी बाबूलाल 1/6 हिस्सा दर्ज है। जमाबंदी चौसाला संवत् 2025 से 2028 तक के खाता सं. 157 में खसरा सं. 1441 रकबा 14-08 बीघा में प्रविष्टि जांवतराम, जवानाराम, गोकलराम, कालूराम पुत्र सुरजमल कौम कुम्हार सा.देह खातेदार ब.हि.बा दर्ज था। जरिये नामा. 593(बंटवाडा) दिनांक 10.5.72 के जरिये खसरा नंबर 1441 रकबा 14-08 बीघा जवान पुत्र सूरजमल जाति कुम्हार सा.देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ। इसके पश्चात बने जमाबंदी चौसाला (2029 से 2032) के खाता सं. 181 में इन्द्राज- खसरा नंबर 1441 रकबा 14-08 बीघा जवानाराम पुत्र सूरजमल कौम कुम्हार दर्ज हुआ। इसके पश्चात की जमाबंदी चौसाला 2033 से 2036 के खाता सं. 222 में खसरा नंबर 1441 रकबा 14-08 बीघा के साथ, खसरा नंबर 1611 मी., व 1422 मी. के साथ त्रुटिवशः जांवताराम पुत्र सूरजमल जाति कुम्हार पटेलगनर नामा.सं. 369 दर्ज कर दिया। आवंटन नामा. सं. 369 में जरिये आब. खसरा नंबर 1422 मी 21-00 बीघा व खसरा नंबर 1611 मी 5-00 बीघा कुल खसरे 2 जांवतराम पुत्र सूरजमल के नाम हुई। उक्त नामा. में खसरा नंबर 1441 का उल्लेख नहीं है। तथा भूलवश जवानाराम के स्थान पर जावंतराम दर्ज हुआ। तत्पश्चात् नामा.सं. 1147 द्वारा जांवतराम पुत्र सूरजमल के फोत होने से खसरा नंबर 1611 मी., 1422 मी. के साथ 1441 भी इसके वारिसान कानाराम, गेपरराम पुत्र जांवताराम के नाम दर्ज हो गया। नवसृजित ग्राम पटेलनगर व पटवार मण्डल पटेलनगर के नामा. 659 के जरिये- गेपरराम पुत्र जांवतराम के स्थान पर पुरखाराम, थानाराम, रैंवतराम पि. गेपरराम, दाखुदेवी पत्नी गेपरराम, गजादेवी, तुलछीदेवी, समुदेवी, शांतादेवी पुत्री गेपरराम के नाम दर्ज हुए। इसके बाद नामा. सं. 1648 के जरिये कानाराम पुत्र जांवतराम के फौत होने से इनके वारिसान लालाराम, बाबूलाल, मदनलाल पि. कानाराम, पांचूदेवी, गुटकी, काली

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

पुत्री कानाराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज हुए। खसरा नंबर 1441 रकबा 14-08 बीघा भूलवश बिना किसी नामा. के जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 के नया चौसाला 2033 से 2036 के खाता सं. 222 में जवानराम के स्थान पर जांवतराम दर्ज हुआ, जो गलत प्रविष्टि है। जिसको पुनः जमाबंदी चौसाला 2025 से 2028 व 2029 से 2032 अनुसार पुनः जवानराम पि. सूरजमल के नाम खसरा नंबर 1441 रकबा 14-08 बीघा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का द्वारा इस खसरे के संबंध में मौका देखा गया व फर्द तैयार की जिसमें उक्त खसरे पर पिछले 40-50 वर्षो से कब्जा वादीगण का होना बताया। जवाब श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पाबूराम पुत्र जवानराम जाति कुम्हार निवासी पटेलनगर का पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 खसरा नंबर 1441 ग्राम हरियाढाणा , प्रदर्श 2 आपसी सहमति का शेडूअल फार्म खसरा नंबर 1441 ग्राम हरियाढाणा, प्रदर्श 3 नामान्तरकरण सं. 1147 ग्राम पटेलनगर, प्रदर्श 4 नामान्तरकरण सं. 659 ग्राम पटेलनगर, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नंबर 1441 ग्राम पटेलनगर आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम पटेलनगर की राजस्व जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 तक के खाता सं. 157 में खसरा सं. 1441 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा पूर्व में खातेदार जांवतराम, जवानाराम, गोकलराम, कालूराम पुत्र सूरजमल कौम कुम्हार के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थे। खातेदार जांवताराम, जवानराम, कालूराम, गोकलराम पिसरान सूरजमल के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा हो जाने के कारण खसरा नंबर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा जवानराम पुत्र सूरजमल के बंट में रखी गयी, जिसकी पुष्टि नामा. सं. 593 दिनांक 10.5. 1972 से की गई। इसी के अनुसार राजस्व जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में जवानराम पुत्र सूरजमल के नाम से राजस्व रेकर्ड इन्द्राज हुए। इसके पश्चात की जमाबंदी चौसाला 2033 से 2036 के खाता सं. 222 में खसरा नंबर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा के साथ खसरा नंबर 1611 मिन व 1422 मी के साथ त्रुटिवश जावंताराम पुत्र सूरजमल जाति कुम्हार पटेलनगर नामा. सं. 369 दर्ज कर दिया, जिसकी पुष्टि तहसीलदार रिपोर्ट से की गई। वर्तमान राजस्व जमाबंदी संवत् चौसाला (2074 से 2077) के खसरा नंबर 1441 रकबा 2.3299 हैक्टयर में मदनलाल, लालाराम पि. कानाराम 1/3 हिस्सा व रेंवतराम, पुरखाराम, थानाराम पि. गेपरराम 1/2 हि., धर्माराम पुत्र बाबुलाल, धनुदेवी, सुमित्रा कुमावत, धापूदेवी पुत्री बाबूलाल, जनकारी पत्नी बाबूलाल 1/6 हिस्सा दर्ज है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट बताया कि खसरा नंबर 1441 रकबा 14-08 बीघा भूलवश बिना किसी नामा. के जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 के नया चौसाला 2033 से 2036 के खाता सं. 222 में जवानराम के स्थान पर जांवतराम दर्ज हुआ, जो गलत प्रविष्टि है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 अनुसार पुन : जवानराम पुत्र सूरजमल के नाम खसरा नंबर 1441 में दर्ज किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

के खसरा नंबर 1441 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा में पुनः राजस्व जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 व 2029 से 2032 के अनुसार दर्ज खातेदार जवानराम पुत्र सूरजमल की घोषणा की जाती है। तथा तहसीलदार बिलाडा को आदेश दिया जाता है कि वो खातेदार जवानराम पुत्र सूरजमल के वारिसानों की जांच कर जाचं उपरान्त नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करें। प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/1/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा